



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27012021-224711
CG-DL-E-27012021-224711

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 336]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 27, 2021/माघ 7, 1942

No. 336]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 27, 2021/MAGHA 7, 1942

ग्रामीण विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2021

का.आ. 368(अ).—केन्द्रीय सरकार, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 3 के खंड (ड.) के उपखंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित करती है कि रक्षा मंत्रालय, राष्ट्रपति के नियंत्रण के अध्यक्षीन और अगले आदेशों तक सेना गैरीसन और अवस्थित विभिन्न सेना की टुकड़ियों को स्थापित करने के लिए अरुणाचल प्रदेश, जिला पश्चिमी सियांग, योरनी-II स्थित भूमि, जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है, के अर्जन के लिए उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत "समुचित सरकार" की शक्तियों का प्रयोग और इसके कृत्यों का निर्वहन करेगा :

जिला	स्थान/ग्राम	क्षेत्र एकड़ में
पश्चिमी सियांग	योरनी-II	14.128

[फा. सं. 13014/02/2020-एलआरडी]

हुकुम सिंह मीना, अपर सचिव

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th January, 2021

S.O. 368(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (v) of clause(e) of section 3 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013), the Central Government hereby notifies that the Ministry of Defence shall, subject to the control of the President and until further orders, exercise the powers and discharge the functions of the “appropriate Government” under the said Act and the rules made thereunder, for acquisition of land at Yorni-II, District West Siang, Arunachal Pradesh for establishing military garrison and locating various army detachments, as per details below :

District	Locality/Village	Area in acres
West Siang	Yorni-II	14.128

[F. No. 13014/02/2020-LRD]

HUKUM SINGH MEENA, Addl. Secy.